VAID ICS LAW

# VAID ICS LAW

## (मासिक विधिक समसामयिकी)

## (दिसंबर/जनवरी 2026)

## UPPCS-J/APO/OTHER JUDICIAL EXAMS

VAID ICS LAW

# क्या सहमति की आयु (Age of Consent) घटाई जानी चाहिए?

10 जनवरी, 2026 को उच्चतम न्यायालय (SC) ने 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिरुद्ध' मामले में किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों में **पोक्सो (POCSO) अधिनियम** के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। कोर्ट ने सरकार से इन कानूनों में सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया है।

**विधिक ढांचा (The Legal Framework):**

भारत में **पोक्सो अधिनियम (2012)** और **भारतीय न्याय संहिता (2023)** के तहत सहमति की कानूनी उम्र **18 वर्ष** निर्धारित है।

- **स्थिति:** 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का यौन कृत्य 'वैधानिक बलात्कार' (Statutory Rape) माना जाता है, चाहे सहमति हो या नहीं।
- **इतिहास:** सहमति की आयु 1860 में 10 वर्ष से शुरू होकर, समय के साथ 12, 14, 16 और अंततः 2012 में 18 वर्ष कर दी गई।
- **अनिवार्य रिपोर्टिंग:** पोक्सो की धारा 19 के तहत ऐसे किसी भी कृत्य की जानकारी पुलिस को देना अनिवार्य है, जिससे किशोरों के निजी संबंधों के लिए कोई कानूनी जगह नहीं बचती।

**पक्ष में तर्क (सहमति की आयु घटाने हेतु):**

- **स्वायत्तता:** समर्थकों का तर्क है कि 16-18 वर्ष के किशोर परिपक्व सहमति देने में सक्षम हैं। कानून का लक्ष्य शोषण रोकना होना चाहिए, न कि आपसी संबंधों को अपराध बनाना।
- **दुरुपयोग के आंकड़े:** 'एनफोल्ड' (Enfold) जैसे अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग **25% पोक्सो मामले** आपसी सहमति वाले प्रेम संबंधों से जुड़े होते हैं, जहाँ माता-पिता अक्सर इस कानून का उपयोग हथियार के रूप में करते हैं।
- **वैश्विक मानक:** कई पश्चिमी देशों में सहमति की आयु 16 वर्ष है या वहाँ **'रोमियो-जूलियट' क्लॉज** (समान उम्र के साथियों के लिए छूट) लागू है।

**चुनौतियां (The Challenges):**

- **निवारण (Deterrence):** 18 वर्ष की स्पष्ट सीमा शिकारियों को 'सहमति' के बहाने मानव तस्करी या शोषण करने से रोकती है।
- **विश्वास का उल्लंघन:** 50% से अधिक बाल शोषण परिचितों (शिक्षक, परिवार) द्वारा किया जाता है, जहाँ 'सहमति' अक्सर दबाव या हेरफेर का परिणाम होती है।
- **संस्थागत विरोध:** संसद और विधि आयोग (2023) ने आयु घटाने का विरोध किया है, क्योंकि इससे बाल विवाह और देह व्यापार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो सकती है।

**न्यायिक दृष्टिकोण (Legal Opinions):**

- **सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण:** दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि किशोर प्रेम को शोषण मुक्त होना चाहिए, लेकिन उसे अनावश्यक रूप से अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना (SC) ने उस 'ट्रॉमा' का भी उल्लेख किया जो लड़कियों को तब झेलना पड़ता है जब उनके साथी को जेल भेज दिया जाता है।
- **सख्त दृष्टिकोण:** 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि 18 वर्ष से कम उम्र में "सहमति कानूनी रूप से महत्वहीन" है, हालांकि असाधारण मामलों में कोर्ट सजा माफ करने के लिए अपनी विशेष शक्तियों (अनुच्छेद 142) का उपयोग करता है।

**निष्कर्ष एवं आगे की राह:**

आयु को पूरी तरह से घटाने के बजाय (जिससे अपराधी इसका फायदा उठा सकते हैं), एक **सूक्ष्म कानूनी सुधार (Nuanced Recalibration)** की आवश्यकता है:

1. **करीबी उम्र की छूट (Close-in-age exemptions):** 16-18 वर्ष के किशोरों के लिए, यदि आयु का अंतर केवल 3-4 वर्ष हो, तो विशेष छूट दी जाए।
2. **अनिवार्य न्यायिक समीक्षा:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंध वास्तविक है या शोषणकारी, अदालती जांच अनिवार्य हो।
3. **शिक्षा पर जोर:** स्कूलों में स्वस्थ संबंधों, सहमति और भावनात्मक लचीलेपन पर आधारित व्यापक **यौन शिक्षा कार्यक्रम सुदृढ़** किए जाएं।

## पलेर्मो प्रोटोकॉल): भारत में बाल तस्करी: चुनौतियाँ और समाधान

**बाल तस्करी क्या है?**

- **अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा (पलेर्मो प्रोटोकॉल):** शोषण के उद्देश्य से बच्चों की भर्ती, परिवहन, आश्रय या प्राप्ति करना।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 - धारा 143:** यह शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या बच्चे की तस्करी को अपराध मानती है। इसमें **धमकी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी या शक्ति के दुरुपयोग** के जरिए किया गया कार्य शामिल है।
- **शोषण का दायरा:** इसमें शारीरिक और यौन शोषण, गुलामी, भिक्षावृत्ति (Begging) और अंगों को निकालना (Organ removal) शामिल है।

**संवैधानिक अधिकार:**

- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और जबरन श्रम (Begar) पर रोक।
- **अनुच्छेद 24:** 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने पर रोक।
- **अनुच्छेद 39 (e) और (f):** राज्य का कर्तव्य है कि वह बच्चों को शोषण से बचाए और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करे।

**प्रमुख कानूनी ढांचा:**

- **POCSO अधिनियम, 2012:** बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए कठोर दंड (आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक)। यह लिंग-तटस्थ (Gender-neutral) कानून है।
- **किशोर न्याय (JJ) अधिनियम, 2015:** तस्करी से बचाए गए बच्चों की देखरेख और पुनर्वास।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट:** भारत में लगभग **400 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें** POCSO मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कार्यरत हैं।

**प्रमुख चुनौतियाँ:**

- **दोषसिद्धि की कम दर (Low Conviction Rate):** 2018-2022 के बीच यह मात्र **4.8%** रही, जो अपराधियों में कानून का डर कम करती है।
- **सामाजिक-आर्थिक कारण:** गरीबी, बेरोजगारी और पलायन बच्चों को तस्करों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।
- **डिजिटल खतरा:** सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग अब "मॉडलिंग" या "नौकरी" के बहाने बच्चों को फंसाने के लिए किया जा रहा है।
- **बड़ी संख्या में मामले:** अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच **53,000 से अधिक** बच्चों को रेस्क्यू किया गया।

**न्यायिक दृष्टिकोण (K.P. किरण कुमार बनाम राज्य, 2025):**

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि तस्करी **जीवन के अधिकार (Art 21)** का गंभीर उल्लंघन है।
- कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्चों के बयान को **"घायल गवाह" (Injured Witness)** की तरह संवेदनशील तरीके से देखा जाना चाहिए।

## आर्टिकल आधारित मेन्स प्रश्न:

**POCSO एक्ट और नए लागू किए गए भारतीय न्याय संहिता (BNS) सहित एक मजबूत कानूनी ढांचे के बावजूद, भारत में बच्चों की तस्करी के मामलों में सज़ा की दर चिंताजनक रूप से कम बनी हुई है। इस खतरे को रोकने में सामाजिक-आर्थिक और सिस्टम से जुड़ी चुनौतियों का गंभीर विश्लेषण करें और 'सज़ा-आधारित' रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति सुझाएं। 200 शब्द**

## उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991:

**19 जनवरी 2026 को लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय** में हुई घटना के फलस्वरूप **काकोरी पुलिस थाने के तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया।**

उप-निरीक्षक उस्मान खान, उप-निरीक्षक लाखन सिंह तथा आरक्षी पुष्पेन्द्र सिंह ने **उच्च न्यायालय परिसर** में **बिना अनुमति** प्रवेश कर अधिवक्ता **गुफरान सिद्दीकी** के चैंबर में प्रवेश किया और अधिवक्ता तथा उनके मुवक्किल **आमिना खातून** को **गिरफ्तार** करने का प्रयास किया। यह कार्रवाई **उत्तर प्रदेश गौ-हत्या निवारण अधिनियम** के अंतर्गत एक प्रकरण से संबंधित थी।

**अधिवक्ता संघ की प्रतिक्रिया** अधिवक्ता संघ ने इसे **न्याय के मंदिर** की गरिमा का **उल्लंघन** तथा **विधिक समुदाय** पर **दबाव** की कार्रवाई माना। वकीलों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

**प्रकरण के प्रमुख बिंदु:**

- **अनधिकृत प्रवेश**: पुलिस के पास **गेट पास** या **सुरक्षा रजिस्ट्रार** की अनुमति नहीं थी।
- **आपराधिक मुकदमा**: पुलिसकर्मियों के विरुद्ध **भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.)** के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज:
    - **धारा 329(3)**: आपराधिक अतिचार
    - **धारा 351(3)**: आपराधिक धमकी
    - **धारा 352**: शांति भंग करने के इरादे से उकसावा
- **निलंबन का आधार**: **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991** के **नियम 17(1)(क)** के अंतर्गत निलंबन।

**विधिक एवं संवैधानिक प्रावधान:**

**भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.):**

- अधिवक्ता कक्ष को **न्यायिक कार्यस्थल** का **निजी विस्तार** माना जाता है।
- बिना अनुमति प्रवेश कर उत्पीड़न या भयभीत करने का इरादा → **आपराधिक अतिचार**।
- **गिरफ्तारी प्रक्रिया** में कठोर प्रोटोकॉल अनिवार्य, विशेषकर जब व्यक्ति **विधिक परामर्श** के संरक्षण में हो।

**संवैधानिक संरक्षण:**

- **अनुच्छेद 21**: जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण – गिरफ्तारी की प्रक्रिया **निष्पक्ष** एवं **गैर-मनमानी** होनी चाहिए।
- **अनुच्छेद 22**: अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी से परामर्श एवं प्रतिरक्षा का अधिकार – इसका उल्लंघन माना गया।

**संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:**

- **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**: गिरफ्तारी के **11 आज्ञापत्र** – पुलिस ने पहचान ठीक से प्रकट नहीं की, मेमो नहीं दिया।
- **प्रतिभा पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य**: न्यायालय परिसर में गिरफ्तारी से पूर्व **पीठासीन अधिकारी** या **रजिस्ट्रार** को सूचित करना अनिवार्य।
- **सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ**: विधिक पेशे की स्वतंत्रता **न्याय व्यवस्था** का मूल स्तंभ – परिसर में दबाव **अपमानजनक** कार्य।

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991:**

**व्याप्ति:**

- **लागू**: उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी **अधीनस्थ रैंक** (आरक्षी से उप-निरीक्षक तक) पर।
- **प्राधिकार**: पुलिस अधीक्षक, उप-महानिरीक्षक, महानिरीक्षक आदि द्वारा दण्ड।

**दण्ड के प्रकार:**

- **दीर्घ दण्ड** (नियम 4):
    - **बर्खास्तगी / पदच्युति**
    - **पदावनति**
    - **अनिवार्य सेवानिवृत्ति**
- **लघु दण्ड** (नियम 5):
    - **कटौती**
    - **वेतन वृद्धि रोकना**
    - **जुर्माना**
    - **थकान ड्यूटी**

**दीर्घ दण्ड की प्रक्रिया** (नियम 14):

- **नियमित विभागीय जाँच** अनिवार्य

- **आरोप-पत्र** जारी
- आरोपी को **साक्ष्य प्रतिपरीक्षण** एवं **बचाव** का अधिकार
- **जाँच अधिकारी** द्वारा **निष्कर्ष प्रतिवेदन**

**निलंबन** (नियम 17):

- **नियम 17(1)(क)**: विभागीय जाँच या आपराधिक मुकदमा लंबित होने पर निलंबन संभव।
- **नियम 17(1)(ख)**: 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर अनिवार्य निलंबन।
- निलंबन के दौरान **जीविका भत्ता** प्राप्त होता है।

**अपील एवं पुनरीक्षण:**

- **नियम 20**: अपील उच्चतर प्राधिकारी को (90 दिनों के भीतर)
- **नियम 23**: राज्य सरकार / उच्च अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण संभव

## आर्टिकल आधारित मेन्स प्रश्न:

- **गिरफ्तारी के मकसद से किसी पुलिस अधिकारी के न्यायिक परिसर में घुसने की वैधता पर चर्चा करें। क्या ऐसा काम भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक दायित्व को आकर्षित करता है?200 शब्द**

## राजस्थान 'डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026' (अशांत क्षेत्र विधेयक)

**चर्चा में क्यों?** 21 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने इस विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी।

- **Assembly Session:** इसे 28 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले विधानसभा के **बजट सत्र** में पेश किया जाएगा।
- **Objective:** सरकार का तर्क है कि कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव और **"जनसांख्यिकीय असंतुलन"** (Demographic Imbalance) के कारण लोग अपनी संपत्ति औने-पौने दामों (distress sale) पर बेचने को मजबूर होते हैं। इसे रोकने के लिए यह सख्त कानून लाया जा रहा है।

**अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:**

- **Declaration of Area:** राज्य सरकार या जिला कलेक्टर किसी भी दंगा प्रभावित या सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके को **3 साल** के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर सकते हैं (इसे बढ़ाया भी जा सकता है)।
- **Restriction on Property Transfer:** अशांत क्षेत्र में अचल संपत्ति (मकान, दुकान, जमीन) के हस्तांतरण के लिए **जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति** अनिवार्य होगी।
- **Inquiry by Collector:** कलेक्टर यह जांच करेंगे कि क्या संपत्ति का हस्तांतरण स्वतंत्र सहमति (free consent) से हो रहा है और क्या इससे उस क्षेत्र की शांति या जनसांख्यिकीय संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- **Void Transactions:** बिना अनुमति के किया गया कोई भी लेन-देन कानूनन **शून्य (Invalid and Void)** माना जाएगा।
- **Tenant Protection:** यह बिल अशांत क्षेत्रों में रह रहे किरायेदारों को जबरन बेदखली (eviction) से सुरक्षा प्रदान करता है।

**(दंडात्मक प्रावधान):**

विधेयक में उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है:

- **Offence Nature:** इसे **संज्ञेय (Cognizable)** और **गैर-जमानती (Non-bailable)** अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
- **Imprisonment:** प्रावधानों के उल्लंघन पर **3 से 5 वर्ष तक की जेल**।
- **Fine:** कारावास के साथ-साथ भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

**Legal and Constitutional Context (कानूनी और संवैधानिक प्रावधान):**

- **Modelled on Gujarat:** यह कानून 1991 के 'गुजरात अशांत क्षेत्र अधिनियम' पर आधारित है।
- **Article 19(1)(f) & Article 300A:** भारत के संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है (44वें संशोधन के बाद), लेकिन यह एक **संवैधानिक अधिकार (Article 300A)** है। आलोचना करने वालों का तर्क है कि यह कानून संपत्ति के निपटान के अधिकार को बाधित करता है।
- **Article 15 & 19:** विपक्षी दलों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कानून भेदभावपूर्ण हो सकता है और नागरिकों की आवाजाही व निवास की स्वतंत्रता (Right to reside) को प्रभावित कर सकता है।
- **Reasonable Restrictions:** सरकार का पक्ष है कि सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 19(5) के तहत संपत्ति के हस्तांतरण पर "तर्कसंगत प्रतिबंध" लगाए जा सकते हैं।

## आर्टिकल आधारित मेन्स प्रश्न:

**"यद्यपि अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह राज्य की मनमानी कार्रवाई के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा बना हुआ है।" परीक्षण कीजिए 200 शब्द**

## मासिक धर्म स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है।

**पृष्ठभूमि: डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत सरकार एवं अन्य (2026):**

इस मामले की यात्रा एक **जनहित याचिका (PIL)** के रूप में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में किशोरियों के सामने आने वाली प्रणालीगत बाधाओं को दूर करना था।

- **प्रारंभिक याचिका:** याचिका में स्कूलों में सभी किशोरियों के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन और उनके लिए उचित, पृथक शौचालय सुविधाओं की मांग की गई थी।
- **न्यायिक समयरेखा:**

- **28 नवंबर 2022:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया।
- **10 अप्रैल 2023:** न्यायालय ने केंद्र सरकार को **'मासिक धर्म स्वच्छता पर राष्ट्रीय नीति'** तैयार करने का निर्देश दिया।
- **12 नवंबर 2024:** केंद्र सरकार को राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया।
- **30 जनवरी 2026: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन** की पीठ द्वारा अंतिम निर्णय सुनाया गया।

**II. न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां:**

न्यायालय की टिप्पणियां प्रशासनिक आवश्यकताओं से आगे बढ़कर बालिका की **शारीरिक स्वायत्तता** और **गरिमा** पर केंद्रित रहीं।

- **अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार:** न्यायालय ने घोषित किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार **'जीवन के अधिकार'** का एक अभिन्न अंग है।
- **शारीरिक स्वायत्तता:** सुरक्षित प्रबंधन उपायों का अभाव गरिमापूर्ण अस्तित्व को कमजोर करता है और मासिक धर्म वाली बालिकाओं की शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** न्यायमूर्ति पारदीवाला ने रेखांकित किया कि खराब स्वच्छता से प्रजनन पथ के संक्रमण (जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस) और संभावित बांझपन हो सकता है, जो स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन है।
- **सामाजिक संदेश:** इस निर्णय का उद्देश्य प्रत्येक बालिका तक यह संदेश पहुँचाना था कि उसके शरीर और उसकी प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं को **'बोझ' के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए**।

**III. न्यायालय के व्यापक निर्देश:**

न्यायालय ने स्कूलों (कक्षा 6-12) में अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट और अनिवार्य निर्देश जारी किए:

**बुनियादी ढांचा और सुविधाएं**

- **लिंग-पृथक शौचालय:** सभी स्कूलों (सरकारी/निजी, शहरी/ग्रामीण) में जल की उपलब्धता के साथ कार्यात्मक, अलग शौचालय होने चाहिए।
- **निजता और सुलभता:** शौचालयों को निजता के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए और वे दिव्यांग बच्चों के लिए सुलभ होने चाहिए।
- **प्रक्षालन सुविधाएं (Washing Facilities):** साबुन और जल की निरंतर आपूर्ति के साथ कार्यात्मक वाशिंग सुविधाएं।
- **निःशुल्क अवशोषक (Absorbents):** वेंडिंग मशीनों के माध्यम से शौचालय परिसर के भीतर निःशुल्क **'ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल' सैनिटरी नैपकिन** की उपलब्धता।
- **MHM कॉर्नर:** 'मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर' की स्थापना, जिसमें आपात स्थिति के लिए अतिरिक्त अंतःवस्त्र (innerwear), वर्दी और पैड हों।

**सैनिटरी अपशिष्ट निपटान:**

- **पर्यावरण अनुपालन:** स्कूलों को **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों** के अनुसार स्वच्छ निपटान तंत्र स्थापित करना होगा।
- **कचरा पात्र (Wastebins):** प्रत्येक शौचालय इकाई में ढके हुए कूड़ेदान होने चाहिए और उनकी नियमित सफाई की जानी चाहिए।

**IV. परीक्षित चार संवैधानिक प्रश्न:**

**प्रश्न 1: अनुच्छेद 14 (समानता) का उल्लंघन:**

- न्यायालय ने माना कि इन उपायों की अनुपलब्धता एक **जैविक वास्तविकता को संरचनात्मक बहिष्कार** में बदल देती है। मासिक धर्म वाली लड़कियां दोहरे नुकसान का सामना करती हैं—सामाजिक-आर्थिक (सामर्थ्य) और लिंग-आधारित। वास्तविक समानता के लिए राज्य को इन संरचनात्मक कमियों को दूर करना आवश्यक है।

**प्रश्न 2: अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा) का हिस्सा:**

- न्यायालय का उत्तर **'हाँ'** था। सुविधाओं के अभाव में लड़कियां स्कूल से अनुपस्थित रहने या असुरक्षित साधनों (जैसे राख, कपड़ा) का उपयोग करने को मजबूर होती हैं, जो मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। चूंकि निजता गरिमा से जुड़ी है, इसलिए राज्य मासिक धर्म प्रबंधन के लिए निजी वातावरण प्रदान करने हेतु बाध्य है।

**प्रश्न 3: भागीदारी और अवसर की समानता का उल्लंघन:**

- स्वच्छ शौचालयों और नैपकिन की कमी से 'लीकेज' की चिंता और शर्मिंदगी पैदा होती है। यह स्कूलों में समान शर्तों पर भाग लेने के अधिकार को छीन लेता है, जिससे एक **'डोमिनो प्रभाव' (Domino Effect)** पैदा होता है जो भविष्य के पेशेवर और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को सीमित करता है।

**प्रश्न 4: अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम का उल्लंघन:**

**आर.टी.ई. (RTE) अधिनियम 2009** के तहत, शिक्षा 'गुणवत्तापूर्ण' होनी चाहिए। यदि कोई जैविक प्रक्रिया स्कूल जाने में बाधा बनती है, तो शिक्षा का अधिकार काल्पनिक (Illusory) रह जाता है। अब इन नियमों का पालन न करने पर निजी स्कूलों की **मान्यता रद्द** की जा सकती है या सरकारी स्कूलों के लिए राज्य की जवाबदेही तय होगी।

**V. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21:**

**अवलोकन:**

- **परिभाषा:** "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- **मौलिक अधिकारों का हृदय:** यह केवल भौतिक अस्तित्व के बारे में नहीं है, बल्कि **मानवीय गरिमा** के साथ जीने के अधिकार को शामिल करता है।
- **विस्तार:** यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है।

**प्रमुख वाद (Case Laws):**

1. **खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963):** 'जीवन' का अर्थ केवल 'पशुवत अस्तित्व' से अधिक है; इसमें वे सभी अंग और संकाय शामिल हैं जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है।
2. **फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम प्रशासक (1981):** यह एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोच्च महत्व के संवैधानिक मूल्य को दर्शाता है; मानवीय गरिमा को कम करने वाला कोई भी कार्य इसका उल्लंघन है।
3. **जया ठाकुर बनाम भारत सरकार (2026):** मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को गरिमापूर्ण जीवन के एक गैर-परक्राम्य (Non-negotiable) घटक के रूप में स्थापित करता है।

यह **आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** द्वारा **गुम्माडी उषा रानी बनाम सुरे मल्लिकार्जुन राव (2025)** के मामले में दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो न्यायिक प्रक्रिया में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) के उपयोग और 'न्यायिक विवेक' (Judicial Mind) के महत्व को स्पष्ट करता है।

**मुख्य विधिक सिद्धांत (Core Legal Ruling)**

न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी ने यह निर्धारित किया कि आदेश में **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** द्वारा उत्पन्न गैर-मौजूद (Non-existent) संदर्भों या उद्धरणों (Citations) का मात्र उल्लेख होने से आदेश **दूषित (Vitiate)** नहीं माना जाएगा, यदि:

1. आदेश में विचार किया गया **कानून सही है**।
2. मामले के तथ्यों पर कानून का **अनुप्रयोग (Application) त्रुटिहीन** है।
3. आदेश में निर्णय तक पहुँचने के लिए स्वतंत्र **तार्किक कारण** दिए गए हैं।

**मामले की पृष्ठभूमि (Background)**

- **अधीनस्थ न्यायालय का आदेश:** एक ट्रायल कोर्ट ने 'कमिश्नर की रिपोर्ट' को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया था।
- **AI की त्रुटि:** आदेश लिखते समय, न्यायिक अधिकारी ने शोध के लिए AI उपकरणों का उपयोग किया और ऐसे उद्धरण शामिल कर दिए जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं थे (AI Hallucination)।
- **चुनौती:** याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर आदेश को रद्द करने की मांग की कि न्यायालय ने "काल्पनिक" अधिकारियों पर भरोसा किया है, जो न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन है।
- **ट्रायल कोर्ट का तर्क:** हालांकि उद्धरण गलत थे, लेकिन अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि कमिश्नर की रिपोर्ट को केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब उसमें पक्षपात या दुराचार सिद्ध हो।

**उच्च न्यायालय का प्रेक्षण (Observations of High Court)**

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए निम्नलिखित तर्क दिए:

**(क) रूप से अधिक सार का महत्व (Substance over Form)**

न्यायालय ने कहा कि यदि न्यायाधीश द्वारा लिया गया **दृष्टिकोण सही** है और उसे वास्तविक कानून का समर्थन प्राप्त है, तो केवल गलत या गैर-मौजूद उद्धरणों का उल्लेख करना आदेश को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता।

**(ख) हस्तक्षेप का आधार (Basis for Interference)**

उच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब:

- लागू किया गया विधिक सिद्धांत **देश का कानून (Law of the Land)** न हो।
- गैर-मौजूद फैसलों पर निर्भरता के कारण तथ्यों पर कानून का प्रयोग **त्रुटिपूर्ण** हो गया हो।

**(ग) साक्ष्य की प्रकृति**

कमिश्नर की रिपोर्ट साक्ष्य का एक हिस्सा है जिसे अंतिम सुनवाई के समय जांचा जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के पास जिरह (Cross-examination) के दौरान इस पर आपत्ति जताने का अवसर सुरक्षित है।

**AI उपकरणों के अनियंत्रित उपयोग के विरुद्ध चेतावनी**

न्यायालय ने न्यायिक लेखन में AI के "अंधानुकरण" पर **गंभीर चिंता** व्यक्त की:

- **तथ्यों का निर्माण:** AI उपकरण अक्सर "भ्रम" (Hallucinations) पैदा करते हैं, जिससे वे ऐसे मामलों का हवाला देते हैं जो कभी हुए ही नहीं।
- **मानवीय निरीक्षण की आवश्यकता:** न्यायालय ने AI पर 'अंध निर्भरता' की निंदा की और कहा कि **वास्तविक बुद्धिमत्ता (Actual Intelligence)** को 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **सतर्कता:** अधीनस्थ न्यायालयों को सलाह दी गई कि वे AI के परिणामों का उपयोग करने से पहले उनका **सत्यापन (Verification)** अनिवार्य रूप से करें।

**विधिक प्रक्रिया में AI से जुड़ी चिंताएं**

- **सटीकता और विश्वसनीयता:** AI के पास कानून के संपूर्ण विवरण तक पहुंच नहीं हो सकती है।
- **निजता का हनन:** न्यायिक निर्णय लेने में AI का अनियंत्रित उपयोग डेटा की गोपनीयता और सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुँचा सकता है।
- **तर्क की कमी:** AI अक्सर उन अधिकारियों को उद्धृत कर सकता है जो विचाराधीन मुद्दे के लिए अप्रासंगिक हों।

**"आदेश" (Order) की विधिक परिभाषा:**

**सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 2(14)** के अनुसार, **"आदेश"** का अर्थ किसी सिविल न्यायालय के निर्णय की **औपचारिक अभिव्यक्ति (Formal Expression)** है जो 'डिक्री' (Decree) नहीं है।

**डिक्री और आदेश में अंतर (Distinction):**

| विशेषता | डिक्री (Decree) | आदेश (Order) |
|---|---|---|
| **उत्पत्ति** | यह एक **वाद (Suit)** से उत्पन्न होती है जो 'वादपत्र' (Plaint) के प्रस्तुतीकरण से शुरू होता है। | यह वाद, आवेदन या याचिका से उत्पन्न हो सकता है। |
| **प्रकृति** | यह प्रारंभिक, अंतिम या अंशतः दोनों हो सकती है। | आदेश **प्रारंभिक (Preliminary)** नहीं हो सकता। |
| **संख्या** | सामान्यतः एक वाद में एक ही डिक्री पारित की जाती है। | एक वाद या कार्यवाही में कई आदेश पारित किए जा सकते हैं। |
| **अपील** | प्रत्येक डिक्री की अपील की जा सकती है (जब तक कि वर्जित न हो)। | केवल वे आदेश अपील योग्य हैं जिनका **धारा 104 या आदेश 43** में उल्लेख है। |
| **द्वितीय अपील** | उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील का प्रावधान है। | अपील योग्य आदेशों के मामले में **द्वितीय अपील नहीं** होती। |

**निर्णय (Judgment) से अंतर:**

- **निर्णय:** न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों पर दिया गया कथन है। इसमें निर्णय के **कारण** निहित होते हैं।
- **आदेश/डिक्री:** यह निर्णय की घोषणा के बाद होने वाली **विधिक औपचारिकता** है।

## BNSS की धारा 215 एवं 379:

**शैलेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम मैसर्स इंडस रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2026)** के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के **न्यायमूर्ति विवेक जैन** की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह निर्णय अदालती कार्यवाही के दौरान 'प्रतिभू' (Surety) के प्रतिरूपण (Impersonation) के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उसमें **न्यायिक निरीक्षण (Judicial Oversight)** की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है।

**मामले की पृष्ठभूमि:**

यह मामला एक वसूली डिक्री (Recovery Decree) के निष्पादन से संबंधित था:

1. **अंतरिम आदेश:** ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील लंबित थी। अपील के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, डिक्री की राशि का एक हिस्सा (**₹35.25 लाख**) निष्पादन न्यायालय (Executing Court) में जमा किया गया था।
2. **प्रतिभू (Surety) का प्रस्तुतीकरण:** निष्पादन न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह राशि डिक्री धारकों (Petitioners) को तब दी जाए जब वे एक सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करें। इस उद्देश्य के लिए 'जुगल किशोर' नामक व्यक्ति की कृषि भूमि की जमानत दी गई।
3. **धोखाधड़ी का खुलासा:** बाद में पता चला कि उसी भूमि पर पहले से ही 9 अन्य जमानतें दी जा चुकी थीं। इसके उपरांत, वास्तविक जुगल किशोर ने न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि उसने कभी कोई जमानत नहीं दी और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति ने **प्रतिरूपण (Impersonation)** किया है।
4. **दंडात्मक कार्यवाही की मांग:** निर्णय ऋणी (Judgment Debtors) ने **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 379** [पूर्ववर्ती CrPC की धारा 340] के तहत आवेदन दिया कि डिक्री धारकों और प्रतिरूपण करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाए।
5. **निचली अदालत का आदेश:** 18 नवंबर 2025 को निष्पादन न्यायालय ने पुलिस को जांच का आदेश दिया और कहा कि यदि पुलिस को धोखाधड़ी मिलती है, तो वह **FIR दर्ज कर** आगे की कार्यवाही करे।

**II. उच्च न्यायालय के प्रेक्षण और आदेश में संशोधन:**

डिक्री धारकों ने इस आदेश को चुनौती दी। न्यायमूर्ति विवेक जैन ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत प्रतिपादित किए:

- **पुलिस की शक्ति पर सीमा:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब कोई अपराध 'न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में' किया जाता है, तो पुलिस अधिकारी **BNSS की धारा 215** के तहत सीधे अपराध दर्ज नहीं कर सकता।
- **न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग:** BNSS की धारा 379 के अनुसार, यह न्यायालय का दायित्व है कि वह प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) करे और अपनी **प्रथम दृष्टया संतुष्टि (Prima-facie satisfaction)** दर्ज करे।
- **आदेश में संशोधन:** उच्च न्यायालय ने निष्पादन न्यायालय के आदेश को संशोधित किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुलिस जांच तो कर सकती है, लेकिन FIR दर्ज करने का निर्णय पुलिस के विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता।
- **अंतिम निर्णय न्यायालय का:** पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट निष्पादन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, न्यायालय अपना **न्यायिक विवेक (Judicial Mind)** लागू करेगा और केवल न्यायालय के आदेश पर ही FIR दर्ज की जाएगी।

**III. विधिक प्रावधान: BNSS की धारा 215 एवं 379:**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) में इन धाराओं को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

***BNSS की धारा 215 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 195):***

यह धारा कुछ विशेष अपराधों (जैसे लोक न्याय के विरुद्ध अपराध या दस्तावेजों में जालसाजी) के लिए संज्ञान (Cognizance) लेने पर रोक लगाती है।

- **प्रावधान:** कोई भी न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि संबंधित **न्यायालय या लोक सेवक लिखित रूप में शिकायत** न करे।
- **उद्देश्य:** यह सुनिश्चित करना कि केवल वही संस्था मुकदमा चलाए जिसके अधिकार क्षेत्र या कार्यवाही में अपराध हुआ है।

***BNSS की धारा 379 (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 340):***

यह धारा 215 में वर्णित मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करती है।

- **प्रक्रिया:**
  1. न्यायालय स्वप्रेरणा से या आवेदन पर **प्रारंभिक जांच** करेगा।
  2. यदि न्यायालय को लगता है कि न्याय के हित में जांच आवश्यक है, तो वह एक **निष्कर्ष (Finding)** दर्ज करेगा।
  3. इसके बाद न्यायालय एक **लिखित शिकायत** तैयार करेगा।
  4. शिकायत को अधिकार क्षेत्र वाले **प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट** को भेजा जाएगा।
- **महत्व:** यह प्रावधान पुलिस को सीधे हस्तक्षेप करने से रोकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अदालती दस्तावेजों से छेड़छाड़ या प्रतिरूपण के मामलों में अंतिम नियंत्रण न्यायाधीश का ही रहे।

**IV. निष्कर्ष एवं विधिक प्रभाव:**

इस निर्णय ने **"विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया"** के महत्व को पुनः स्थापित किया है। यह स्पष्ट करता है कि:

- न्यायालय अपनी शक्तियों को पुलिस को प्रत्यायोजित (Delegate) नहीं कर सकता, विशेषकर उन मामलों में जहाँ अपराध न्यायालय की अपनी गरिमा और कार्यवाही से जुड़ा हो।
- **FIR दर्ज करने का विवेक (Discretion)** केवल तभी प्रभावी होगा जब न्यायालय पुलिस रिपोर्ट का न्यायिक मूल्यांकन कर ले।

## हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(c)

**चर्चा में क्यों?** न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी **की खंडपीठ ने यह निर्धारित किया कि विवाह से पहले** पूर्व लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationship) को छिपाना**, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की** धारा 12(1)(c) **के तहत 'महत्वपूर्ण तथ्य' के संबंध में** धोखाधड़ी (Fraud) **माना जाएगा। इसके आधार पर विवाह 'शून्यकरणीय' (Voidable) हो जाता है और इसे अमान्य (Annul) घोषित किया जा सकता है।**

**मामले की पृष्ठभूमि:**

- **विवाह:** पक्षों का विवाह 02 दिसंबर 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था।
- **तथ्यों का खुलासा:** ससुराल जाने के बाद पत्नी को एक महिला से मिलवाया गया जिसे पति की 'गर्लफ्रेंड' बताया गया। पत्नी को पता चला कि पति विवाह से पहले उस महिला के साथ लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में था, जिसे उससे और उसके परिवार से छिपाया गया था।
- **आरोप:** पत्नी ने आरोप लगाया कि पति को "अच्छे चरित्र" वाला व्यक्ति बताकर उसकी सहमति धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। साथ ही उसने दहेज उत्पीड़न और स्त्रीधन (Stridhan) से वंचित करने के भी आरोप लगाए।
- **अपील:** पत्नी ने भरण-पोषण (Alimony) की राशि बढ़ाने की मांग की, जबकि पति ने विवाह विच्छेद को चुनौती देते हुए इसे "अपरिवर्तनीय रूप से टूटने" (Irretrievable Breakdown) की स्थिति बताया।

**न्यायालय के मुख्य प्रेक्षण (Observations):**

***(क) वैवाहिक कानून में 'धोखाधड़ी' की परिभाषा:***

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत 'धोखाधड़ी' की व्याख्या **भारतीय अनुबंध अधिनियम (Contract Act), 1872** की धारा 17 के समान नहीं की जा सकती।

- **संस्कार बनाम अनुबंध:** हिंदू विवाह एक 'संस्कार' है, न कि केवल एक सिविल अनुबंध। इसलिए अनुबंध अधिनियम की परिभाषा को यहाँ पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता।
- **महत्वपूर्ण तथ्य:** पूर्व लिव-इन संबंध की जानकारी छिपाना एक 'क्वालिफाइंग फ्रॉड' (Qualifying Fraud) है, क्योंकि यह जीवनसाथी के चयन के निर्णय को प्रभावित करता है।

***(ख) स्थायी गुजारा भत्ता (Permanent Alimony):***

न्यायालय ने पति की आय (मैनेजर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड - लगभग ₹1.56 लाख/माह) और पत्नी की शैक्षिक योग्यता (LL.B.) को ध्यान में रखते हुए, एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता बढ़ाकर **₹50,00,000 (पचास लाख रुपये)** कर दिया।

**हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 12 क्या है?**

धारा 12 **शून्यकरणीय विवाह (Voidable Marriage)** से संबंधित प्रावधान करती है।

- **अर्थ:** ऐसा विवाह जो तब तक वैध रहता है जब तक कि पीड़ित पक्ष इसे अमान्य करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर न करे।

***अमान्यता के आधार (Grounds):***

1. **नपुंसकता:** प्रतिवादी की नपुंसकता के कारण विवाह का संपन्न (Consummated) न हो पाना।
2. **सहमति का अभाव:** धारा 5(ii) के उल्लंघन में मानसिक विकार या पागलपन के दौरे।
3. **बल या धोखाधड़ी:** यदि याचिकाकर्ता या उसके अभिभावक की सहमति **बल प्रयोग या धोखाधड़ी** (जैसे महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना) से प्राप्त की गई हो।
4. **विवाह-पूर्व गर्भावस्था:** यदि विवाह के समय प्रतिवादी किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी।

**भारत में लिव-इन रिलेशनशिप की कानूनी स्थिति:**

लिव-इन रिलेशनशिप का अर्थ है दो अविवाहित व्यक्तियों का बिना औपचारिक विवाह के पति-पत्नी की तरह साथ रहना।

- **विधिक मान्यता:** इसे **अनुच्छेद 21** (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत संरक्षित माना गया है।
- **घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:** इस अधिनियम की धारा 2(f) लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को "विवाह जैसी प्रकृति के संबंधों" के तहत सुरक्षा और भरण-पोषण का अधिकार देती है।
- **संतानों की स्थिति:** लिव-इन संबंधों से पैदा हुए बच्चे वैध माने जाते हैं और उन्हें माता-पिता की संपत्ति में उत्तराधिकार का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

**निष्कर्ष:**

यह निर्णय वैवाहिक संबंधों में **पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा (Transparency and Integrity)** के महत्व को पुष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है कि आधुनिक समाज में पूर्व घरेलू व्यवस्थाएं (जैसे लिव-इन) एक ऐसा तथ्य हैं जिनका खुलासा विवाह की वैध सहमति के लिए आवश्यक है।